भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1196
उत्तर देने की तारीखः 23 मार्च, 2012

शिक्षा के अधिकार का कार्यान्वयन

1196. श्रीमती कानीमोझीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हमारे देश में विद्यमान बाल श्रम की प्रथा के कारण शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन में व्यवधान आता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की पहचान करने और उनके पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ किस प्रकार से सहयोग कर रही है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा पहले ही उठाए जा चुके कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डा. डी. पुरंदेश्वरी)

(क) और (ख): निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में छः से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 8 समुचित सरकार पर यह दायित्व डालती है कि वह इस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य दाखिला, उपस्थिति तथा प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करे। इसके अलावा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 4 में यह व्यवस्था है कि ऐसे बच्चे जो अभी नामांकित नहीं है अथवा जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है को आयु के अनुकूल उपयुक्त कक्षाओं में दाखिल किया जाएगा तथा उन्हें अन्यों के समान बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार होगा।

(ग) और (घ): सर्व शिक्षा अभियान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित करने का मुख्य जरिया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत

मानदंडों को संशोधित किया गया है ताकि इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप बनाया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान के संशोधित कार्यान्वयन कार्य ढांचे में यह व्यवस्था है कि गैर सरकारी संगठनों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में समुदाय जुटाव तथा जागरूकता विकास तथा गैर–नामांकित तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने तथा उन्हें नियमित स्कूलों की मुख्य धारा में लाने के लिए शामिल किया जाएगा।

***